No.18/2/2025-Public Government of India/Bharat Sarkar Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya (Public Section, Room No. 13)

(12)

North Block, New Delhi. Dated 3rd April, 2025.

To

0 3 APR 2025

- 1. The Chief Secretaries of all State Governments.
- 2. Administrators of all UTs.
- 3. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- 4. DGPs of all State Governments/UT Administrations.
- 5. DGs of CAPFs / RPF
- 6. Secretaries of all Ministries/Deptts. of the Govt. of India.

Subject: Recommendations for Ashoka Chakra series of Gallantry awards to be announced on Independence Day, 2025.

Sir/Madam,

The Government of India has instituted several awards to honour individual acts of merit and gallantry. The idea behind instituting a system of awards and decorations is that the awards and decorations, which are tangible tokens of recognition of the service rendered by an individual, could act as a powerful incentive for greater efforts by that person and also serve as an example for others to emulate.

- 2. The Ashoka Chakra series of gallantry awards are amongst the highest gallantry awards of the country. These awards are given in three categories viz. Ashoka Chakra (awarded for most conspicuous bravery or some act of daring or preeminent valour of self sacrifice), Kirti Chakra (awarded for conspicuous gallantry) and Shaurya Chakra (awarded for gallantry). The awards are announced by the Government of India on the occasions of Republic Day and Independence Day every year. Besides the Defence personnel, civilian citizens in all walks of life, and members of Police Forces, Central Armed Police Forces and Railway Protection Force are also eligible for these awards.
- 3. It is the practice to invite nominations/recommendations for the gallantry awards twice every year from all State/UT Governments and Ministries/Departments of the Government of India. It has, however, been our experience that very few recommendations are received. This is despite the fact that various incidents of gallant acts performed by individuals are regularly reported in the print and electronic media. Such acts of bravery/gallantry go unrecognized in the absence of appropriate recommendation in their favour by the State Governments or other organizations to which the individual involved in the gallantry act belongs. This matter therefore deserves due attention.
- 4. You are, therefore, requested to send appropriate nominations/ recommendations for gallantry awards to be announced on **Independence Day–2025** to this Ministry in the **enclosed proforma positively by 30th April, 2025** for sending the recommendations of Ministry of Home Affairs to Ministry of Defence within-the stipulated date.

IGP (L&O)/IGP (Hqrs)

PIMI K XIGHTON

PB of DGP (M)
Receipt No.1485
Apple 21/4/55

L. Anin.

- 5. While finalizing the recommendations, the following points may be kept in view:-
 - (i) It may be ensured that the person recommended for the award is bonafide and suitable candidate for the award.
 - (ii) Complete details of the gallantry act, including sequence-wise details of the steps taken by the person connected with the act, his role in the gallant act, nature of risk involved, etc should be clearly mentioned in the recommendation. This should be properly corroborated by documents like FIR or other report from police authority.
 - (iii) A certificate about the verification of the character and antecedents of the person recommended should be forwarded in the <u>enclosed format</u> along with the recommendation, in the absence of which the recommendation will not be considered.
 - (iv) The recommendations should cover the <u>period from July 2024 to January 2025</u>. In case any recommendation pertains to a period prior to this, it may be ensured that there is sufficient justification for the said recommendation and the same is also indicated in a note form. Under no circumstances, the recommendations shall be made for any act done before 15th August, 2023.
 - (v) The act for which the award is being recommended should not have been recognized earlier by way of any other award.
 - (vi) Photograph and brief life sketch of the recommended person should also be sent.
 - (vii) The last date for receipt of the recommendations i.e. <u>30.04.2025</u> may be strictly adhered to.

Yours faithfully,

Encl: As above

(Debobroto Basu) Under Secretary to the Government of India Tel. No. 011-23092421

ASHOKA CHAKRA SERIES OF GALLANTRY AWARD

(Proforma for recommendation of Ashoka Chakra Series of Gallantry Awards)

PART-A

1.	Full Name in English	: <u> </u>	
2.	(in Block letter) Full Name in Hindi	• <u> </u>	
3.	Designation, if employed	•	
4.	Name of Employer with complete address with Pin Code number, if any		
5.	Date of Birth/Age	·	
6.	Name of the Next-of-Kin (In case of posthumous av	:vards)	
7.	Relation-ship of Next-of-K with the awardee	in :	
8.	Present Address (with telephone/fax/ e-mail, if any for contact) (with Pin Code number)		
9.	Permanent Address (with Pin Code number)	:	
10.	Date of incident	:	
11.	Nature of act for which the recommendation made	:	
12.	Award recommended (i.e. Ashoka Chakra, Kirti Chakra and Shaurya Chak	:	
13.	Whether Posthumous Awa	rd : (Yes/No)	
14.		:Award :Year	
15.	Recommending authority (Complete Address/ Telephone/Fax) :		
		PART-B CITATION	

NB:

- 1) Citation should be attached separately in the form of a write-up giving complete sequence-wise details of the gallantry act in about 200-250 words properly supported by documents like **FIR** or other report from police authority, if any.
- 2) If there is more than one recommendation for a particular event, there must be one combined citation containing the acts of recommended persons.
- 3) The number of Service/Para-military personnel and terrorists/under-grounds etc. involved in each action may be specified.

ASHOKA CHAKRA SERIES OF GALLANTRY AWARD

(Proforma for verification of the character & antecedents of the recommended person)

CERTIFICATE

	IL	15	certified	that	the	character	and	antecedents	OI
Shri/S	Smt	*						have be	een
verifi	ed a	and i	t is confirm	ed that	noth	ing adverse	has bee	n reported aga	inst
him/h	ner.								
· \									
									•
								(Signatu	re)
			1	Name &	Desig	nation of the	e Recom	mending Autho	rity
								Tel:	
								Date:	
		*/^	Iame Eather's	Name an	d addre	ss of the person	racomma	nded)	
		1,	diffe, rather 3	ivanic an	u dddi C.	s of the person	recomme	lucuj	

Annexure-I

Proforma for detail of Gallantry Awardees (Charka Series)

Name:

Award Recommended		
Effective Date of Award		PHOTOGRAPH OF
Personnel No.		AWARDEE (jpg, pdf less than
Rank & Decorations,		1 mb)
if any		
Service/Unit		
Whether Posthumous	Yes/No	
Father's Name		
Mother's Name		

CITATION	

PROFORMA

Details of Personnel recommended for Gallantry Awards

Name of Awards:-

S			
Remarks			
Complete	present postal	address	
Whether	Posthumous	Yes/no	
Date of	Refirement		
Mother Tongue			
State of	domicile		
Personnel Number,	Rank & Full Name with	decorations, if any	
SI No.			Υ.

Note:-

- 1. Separate statement should be prepared in respect of each category of award.
- 2. Any Changes in present address should be intimated to D(Ceremonials) at the earliest.
- 3. Copies of each statement should by duly authenticated

सं. 18/2/2025-पब्लिक भारत सरकार गृह मंत्रालय (पब्लिक अनुभाग)

> नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 3 अप्रैल, 2025

सेवा में,

1. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव।

2. सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव।

4. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों के पुलिस महानिदेशक।

5. सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक।

6. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषयः स्वतंत्रता दिवस, 2025 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले अशोक चक्र श्रृंखला के शौर्य पुरस्कारों के लिए सिफारिशें भेजना।

महोदय/महोदया,

भारत सरकार द्वारा सराहना और शौर्य के व्यक्तिगत कार्यों का सम्मान व्यक्त करने के लिए कई पुरस्कार रखे गए हैं। इन पुरस्कारों एवं सम्मानों की प्रथा शुरू करने के पीछे उद्देश्य यह है कि ये पुरस्कार और सम्मान, जो किसी व्यक्ति द्वारा की गई सेवा को मान्यता प्रदान करने के प्रतीक-स्वरूप होते हैं, उस व्यक्ति के लिए और अधिक प्रयास करने का शक्तिशाली प्रेरक बन सकते हैं एवं दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण भी बनते हैं।

- 2. अशोक चक्र श्रृंखला के शौर्य पुरस्कार देश के सर्वोच्च शौर्य पुरस्कारों में से हैं। ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं अर्थात् अशोक चक्र (यह अत्यधिक वीरतापूर्ण कार्य या साहसिक कार्य या उत्कृष्ट कार्य या आत्म-बलिदान के कार्य के लिए प्रदान किया जाता है), कीर्ति चक्र (यह अत्यधिक उत्कृष्ट शौर्य के लिए प्रदान किया जाता है)। इन पुरस्कारों की घोषणा भारत सरकार द्वारा हर वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की जाती है। रक्षा कार्मिकों के अतिरिक्त, समाज के सभी क्षेत्रों के लोग और पुलिस बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य भी इन पुरस्कारों की पात्रता के दायरे में आते हैं।
- 3. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से शौर्य पुरस्कारों के लिए हर वर्ष दो बार नामांकन/सिफारिशें आमंत्रित करने की परम्परा रही है। तथापि, हमारा यह अनुभव रहा है कि बहुत कम सिफारिशें प्राप्त होती हैं। यह इस तथ्य के बावजूद है कि प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में व्यक्तियों द्वारा शौर्यपूर्ण कार्य किए जाने की विभिन्न घटनाएं नियमित रूप से उजागर की जाती हैं। जिन राज्य सरकारों या अन्य संगठनों से शौर्यपूर्ण कार्य किए जाने वाला व्यक्ति संबंधित होता है, उनके द्वारा उसके लिए उचित सिफारिश न किए जाने के कारण शौर्य/बहादुरी के ऐसे कार्यों को मान्यता नहीं मिल पाती। अत:, इस मामले पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

- 4. अत:, आपसे अनुरोध है कि स्वतंत्रता दिवस-2025 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले शौर्य पुरस्कारों के लिए उपयुक्त नामांकन/सिफारिशें इस मंत्रालय को दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक इस मंत्रालय को भेजें, ताकि रक्षा मंत्रालय को निर्धारित समय तक सिफारिश भेजी जा सके।
- 5. सिफारिशों को अंतिम रूप देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए:-
 - जिस व्यक्ति का नाम पुरस्कार के लिए संस्तुत किया जा रहा है वह वास्तविक है और पुरस्कार के लिए उपयुक्त है।
 - ii. सिफारिश में संबंधित व्यक्ति द्वारा किए गए शौर्य के क्रमवार विवरण एवं उसमें अन्तर्निहित जोखिम की प्रकृति, वीरतापूर्ण कार्रवाई में उसकी भूमिका आदि सहित शौर्य कार्य के सम्पूर्ण विवरण का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए और उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट या पुलिस प्राधिकारी की अन्य रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों के द्वारा ठीक प्रकार से संपुष्टि की जानी चाहिए।
 - iii. जिस व्यक्ति के नाम की सिफारिश की जा रही है, उसकी सिफारिश के साथ उस व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत के सत्यापन के बारे में संलग्न प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र भेजा जाए जिसके न होने पर सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा।
 - iv. सिफारिश जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक की अवधि की होनी चाहिए। यदि कोई सिफारिश इससे पहले की अवधि से संबंधित है, तो यह सुनिश्चित किया जाए कि सिफारिश के लिए पर्याप्त औचित्य है और इसे एक नोट फॉर्म में भी दर्शाया जाए। किसी भी परिस्थिति में, 15 अगस्त 2023 से पहले किए गए किसी भी शौर्य कार्य के लिए सिफारिशें न की जाए।
 - v. जिस कार्य के लिए पुरस्कार की सिफारिश की जा रही है, उसी कार्य के लिए कोई अन्य पुरस्कार पहले ही प्रदान नहीं किया गया हो।
 - vi. सिफारिश किए गए व्यक्ति का फोटोग्राफ और संक्षिप्त जीवन-वृत्त भी भेजा जाना चाहिए।
- vii. सिफारिशों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख अर्थात 30.04.2025 का कड़ाई से पालन किया जाए।

भवदीय,

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

ुर्वाद्री (देबोब्रोतो बासु) अवर सचिव, भारत सरकार दूरभाष: 011-23092421

अशोक चक्र श्रृंखला के शौर्य पुरस्कार

(अशोक चक्र श्रृंखला के शौर्य पुरस्कारों की सिफारिश के लिए प्रोफॉर्मा)

	भाग-ए
1. अंग्रेजी मे पूरा नाम (ब्लॉक पत्र में)	:
2. हिन्दी मे पूरा नाम	:
3 पदनाम, यदि नियोजित है	:
4. नियोक्ता का नाम एवं पूर्ण पता (पिन कोड सहित), यदि कोई हो 5. जन्म तिथि/ उम्र	
6. परिजनों का नाम (Name of Next of Kin) (मरणोपरांत पुरस्कारों के मामले में) 7. पुरस्कार विजेता के साथ संबंध	
 वर्तमान पता (टेलीफोन/फैक्स के साथ/ईमेल संपर्क के लिए ,यदि कोई हो तो) (पिन कोड सहित), स्थायी पता (पिन कोड सहित) 	
10. घटना की तिथि	
11. घटना की प्रकृति जिसके लिए सिफारिश की गई	
12. अनुशंसित पुरस्कार (अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र) 13. मरणोपरांत पुरस्कार	:
14. प्राप्त पुरस्कार की वीरता श्रृंखला का वि घटना के साथ	वरण : पुरस्कार : वर्ष :
15. सिफारिशी प्राधिकरण (पूर्ण पता/दूरभाष/फैक्स)	;

भाग-बी

प्रशस्ति पत्र

पुलिस प्राधिकरण से एफआईआर या अन्य रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों से समर्थित लगभग 200-250 शब्दों में वीरता का पूरा अनुक्रम-वार विवरण देते हुए एक राइट-अप उद्धरण के रूप में अलग से संलग्न किया जाना चाहिए, यदि कोई हो ।
 यदि किसी विशेष घटना के लिए एक से अधिक सिफारिशें हैं, तो एक संयुक्त उद्धरण होना चाहिए जिसमें अनुशंसित व्यक्तियों के कार्य

) प्रत्येक कार्रवाई में शामिल सेवा/पैरा-मिलिट्री कर्मियों और आतंकवादियों/अंडरग्राउंड आदि की संख्या निर्दिष्ट किया जाए ।

अशोक चक्र श्रृंखला के शौर्य पुरस्कार

(अनुशंसित व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्रोफार्मा)

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती*
के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन किया गया है और यह पुष्टि की जाती है कि उनके खिलाफ कुछ
भी प्रतिकूल नहीं पाया गया है।
(हस्ताक्षर) सिफारिश करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम
दूरभाषः दिनांकः

*(अनुशंसित व्यक्ति का नाम, पिता का नाम और पता)

शौर्य पुरस्कारों के लिए अनुमोदित कार्मिक के उद्धरण का प्रपत्र

(चक्र श्रेणी)

नाम:

अनुमोदित पुरस्कार		अनुमोदित कार्मिक का
पुरस्कार कि प्रभावी तारीख वैयक्तिक संख्या		छायाचित्र (जेपीजी , पीडीएफ
वैयक्तिक संख्या		प्रारूप, 1 एमबी से कम)
पद & अलंकरण, यदि कोई है		
सेना/ इकाई		
यदि मरणोपरांत	हाँ/नहीं	
पिता का नाम		
माता का नाम		
परिजनों का नाम (Name of	10.00 展群 8.00	
Next of Kin)		

उद्धरण

शौर्य पुरस्कारों के लिए अनुमोदित कार्मिकों का विवरण

पुरस्कार का नाम :

अभ्युक्तियाँ	
पूरा वर्तमान डाक पता	
मरणोपरांत हाँ/नहीं	
सेवानिवृत की तारीख	,
मातृभाषा	
राज्य का नाम जहां का निवासी है	
वैयक्तिक संख्या, पद & पूरा नाम, अलंकरण, यदि कोई है	
क्रम संख्या	/- -

हस्ताक्षरः

नामः

. .

दिप्पण :-

- 1. पुरस्कार कि प्रत्येक श्रेणी के संबंध में अलग विवरण तैयार किया जाना चाहिए।
- 2. वर्तमान पते में कोई भी परिवर्तन शीघ्र ही रक्षा (समारोह) को सूचित किया जाना चाहिए।
 - 3. प्रत्येक विवरण कि प्रतियां विधिवत प्रमाणित होनी चाहिए।